पत्र संख्या-स्था0-1-चरित्र पंजिका- 2014-15/ 527

आवश्यक/ महत्वपूर्ण

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना- अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 19 मई, 2016,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी से असिस्टेन्ट कमिश्नर के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें वर्ष 2009 बैच व वर्ष 2010 बैच के सीधी भर्ती के तथा ज्येष्ठता क्रमांक-3085 तक के प्रोन्नत कोटे के वाणिज्य कर अधिकारियों की असिस्टेन्ट कमिश्नर के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रस्तावित की जानी है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-428 दिनांक 12-05-2016 द्वारा विभाग के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2013-14 व 2014-15 तथा अन्य अवशेष वार्षिक प्रविष्टियाँ सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये थे परन्तु अभी तक अधिकांश अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियाँ पूर्ण नही हो सकी है जिसके कारण उनकी पदोन्नति की कार्यवाही में विलम्ब हो सकता है।

उक्त सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशो द्वारा वार्षिक प्रविष्टियाँ अंकित किये जाने हेतु समय सारिणी निर्धारित है परन्तु इसके बावजूद शासनादेशो के अनुपालन में समय से कार्यवाही पूर्ण न होना आपत्ति जनक है। ऐसी स्थिति में आप से अपेक्षा की जाती है कि आपके जोन में वर्तमान में तैनात उपरोक्तानुसार पदोन्नति की परिधि में आने वाले समस्त वाणिज्य कर अधिकारियों की वर्ष 2014-15 तक की अवशेष देय समस्त वार्षिक प्रविष्टियाँ पूर्ण कराकर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह0/-
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पृ0प0संख्या- एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मा0 सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5- वर्ष 2009 बैच / वर्ष 2010 बैच सीधी भर्ती एवं ज्येष्ठता क्रमांक- 3085 तक प्रोन्नत कोटे के समस्त वाणिज्य कर अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 की अवशेष प्रविष्टियों हेतु अपेक्षित कार्य विवरण आप द्वारा नियमानुसार प्रतिवेदक / समीक्षक अधिकारी के समक्ष अभी तक प्रस्तुत नही किया गया है तो उसे तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा व्यकितगत रुचि लेकर अपनी अपूर्ण प्रविष्टयां पूर्ण नही करायी गयी तो आप अपनी पदोन्नति में विलम्ब के लिए स्वयं उत्तरदायी होगें।

19.5.2016
(सुनील कुमार राय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।